न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खाचरोद जिला उज्जैन (म0प्र0)

(पीठासीन अधिकारी—पंकज बुटानी)

आर.सी.एस.ए.कमांक— 56 / 2022

फाईलिंग कमांक— 251 / 2022

संस्थित दिनांक— 28.10.2022

सी.एन.आर.नंबर— एम.पी.13050011742022

सुगनबाई पति हिन्दूलालजी,
आयु—54 वर्ष, जाति—बागरी,
निवासी— ग्राम बटलावदी,
तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) —————— वादी

विरूद्ध

1— कस्तूरीबाई पति रामचंद्र,
आयु—65 वर्ष, जाति—बागरी,

2— पप्पूलाल पिता रामचंद्र,
आयु—35 वर्ष, जाति—बागरी,

3— तुफान सिंह पिता रामचंद्र,
आयु—40 वर्ष, जाति—बागरी,
निवासीगण— ग्राम बटलावदी,
तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

4— मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश महोदय,
कोठी पैलेस उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.) ——————प्रतिवादीगण

वादी द्वारा :— श्री एम.एस. सोलंकी अधिवक्ता।

प्रतिवादी कं.1 लगायत 3 द्वाराः— श्री संदीप चौधरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रं. 4 द्वारा :– पूर्व से एकपक्षीय।

// निर्णय //

(आज दिनांक 22/08/2023 को घोषित)

01– यह वाद वास्ते घोषणात्मक सहायता एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

02– वादपत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी क्रं. 1 देवरानी जेठानी है वादी के प्रतिवादी क्रं. 2 व 3 जेठ के लडके है प्रतिवादी क्रं. 1, 2 एवं 3 आपस में माता–पुत्र है। वादी व प्रतिवादी क्रं. 1, 2 व 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर निवासी ग्राम बटलावदी, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन में निवास करते है। वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन में स्थित होकर वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य किया जाकर फसल प्राप्त की जा रही है। वादी के द्वारा उक्त कृषि भूमि सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद को प्रतिवादी क्रं. 1 के पति व प्रतिवादी क्रं. 1 व 3 के पिता रामचंद्र पिता देवाजी से दिनांक 12.10.2010 में क्रय की थी और उक्त दिनांक को ही प्रतिवादी क्रं. 1 के पति व प्रतिवादी 1 व 3 के पिता रामचंद्र ने उक्त कृषि भूमि का कब्जा सौंप दिया था उक्त दिनांक के बाद से ही वादी उक्त कृषि भूमि सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. पर कृषि कार्य करती चली आ रही है और अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करती है। जिसकी चर्तुसीमा निम्नानुसार है। पूर्व में पप्पूलाल ब्रदी का मकान, पश्चिम में मदनलाल नागू की कृषि भूमि व मकान, उत्तर में सरकारी रोड एवं दक्षिण में नागूसिंह की कृषि भूमि आगे इस वादपत्र में वाग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा।

03– वादी का वाद आगे इस प्रकार है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी 12 वर्षों से शांति पूर्ण तरीके से कृषि कार्य करती चली आ रही है और वर्तमान में वादी के द्वारा सोयाबीन की फसल काटकर खेत को गेहूं फसल के लिए

तैयार कर लिया गया है। प्रतिवादी कं.1 के पति व प्रतिवादी कं. 2 व 3 के पिता जीवनकाल में कभी भी प्रतिवादी कं. 1, 2 व 3 के द्वारा कभी भी वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई और न ही कभी कोई विवाद किया गया परंतु प्रतिवादी कं. 1 के पति व प्रतिवादी कं. 2 व 3 के पिता का देहांत लगभग 8 वर्ष पूर्व हो गया था जिसके बाद से प्रतिवादी कं. 1, 2 व 3 की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है और प्रतिवादी कं. 1,2 व 3 के मन में बेईमानी आ गई और प्रतिवादी कं. 1, 2 व 3 के द्वारा वादी के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की वादग्रस्त कृषि भूमि को हडपने की नियत से कई बार वादी के साथ विवाद कर चुके है। दिनांक 22.10.2022 को प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 हथियारों से लैस होकर वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने के लिए आए और वादी से विवाद किया और वादी को मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे तो वादी के पति व वादी के पुत्र व अन्य लोगों ने गाली देने से मना किया और वादग्रस्त कृषि भूमि से खदेड कर भगा दिया जाते जाते प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 बोल कर गए की आज तो जा रहे है परंतु अगली बार कब्जा कर कर ही रहेंगे।

04— वादी का वाद आगे इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का उपभोग व उपभोग कर फसल प्राप्त की जाती है उक्त फसल की आय से ही वादी अपना जीवन यापन करती है प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है इसलिए वाद वास्ते घोषणात्मक सहायता एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत कर आवेदन में निवेदन किया है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 वादी के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नं. 352 रकबा 0.2000 हे. स्थित ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन में न तो स्वयं हस्तक्षेप व कब्जा करे और न किसी अन्य से हस्तक्षेप व कब्जा करवाए एवं वादी के पक्ष में व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 वादी को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नं. 352 रकबा 0.2000 हे. स्थित ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद से बेदखल करने की न तो स्वयं कोशिश

करे न किसी अन्य से करवाए। अतः वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

05– प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर में वादी के आवेदन के सम्पूर्ण तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपने विशेष कथन में लेख किया है कि वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध असत्य एवं बनावटी काल्पनिक कहानी के आधार पर इस वाद की आड में प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए और दुर्भावनापूर्वक नियत से प्रतिवादीगण की शासकीय पट्‌टे की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से असत्य रूप से वाद प्रस्तुत किया गया है वादी स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। इस कारण से वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी के द्वारा वादपत्र की चरण संख्या तीन में वर्णित चर्तुसीमा में दक्षिण दिशा की चर्तुसीमा पूर्णतया जानबूझकर गलत बताई है और दक्षिण में असत्य रूप से अभिलेख नक्शा ट्रेस में भौतिक रूप से सर्वे नम्बर की स्थिति के विपरीत चर्तुसीमा में नागुसिंह की कृषि भूमि होना बताई गई है, जबकि मौके पर शासकीय नक्शा ट्रेस की आकृति को देखे जाने पर वादग्रस्त सर्वे नं. 352 के बरूख दक्षिण की ओर सर्वे नं. 353 जो कि, शासकीय पूरा सर्वे नम्बर है जो एक पतली पट्‌टी में पूर्व पश्चिम लम्बाई में और दक्षिण की और गोलाई में स्थित है, उसके पश्चात् शासकीय तालाब की भूमि है और फिर नागुसिंह की कृषि भूमि स्थित है।

06– प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर में आगे अभिवचन किये है कि प्रतिवादीगण के पिता रामचंद्र पिता देवाजी जाति बागरी के नाम से प्रकरण क्रं. 103/अ–19/1999–2000 से नायब तहसीलदार महोदय खाचरौद के द्वारा दिनांक 30.05.2000 को पटटा प्रदान किया गया था और अभिलेख में प्रतिवादीगण के पिता का नाम सर्वे नम्बर 353/1 रकबा 0.20 हे. पर दर्ज हुआ था। लेकिन वर्तमान में अभिलेख की त्रुटि के कारण खसरे में प्रविष्टि दर्ज नहीं है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा पुनः उक्त पट्‌टे के आधार पर नामांतरण दर्ज करने हेतु नायब तहसीलदार खाचरौद के न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। वादी की नियत यह है कि, वह आसपास की शासकीय भूमि पर जबरन अपने धनबल के बल

पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और इसी नियत से वह प्रतिवादीगण की काबिज पट्टे की भूमि पर भी इस वाद की आड में असत्य चर्तुसीमा का सहारा लेकर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है, और वादी इस अवैध कार्य को करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूठी शिकायते अलग–अलग फोरम पर कर रहा है, जबकि प्रतिवादीगण एक गरीब तबके के है ओर उनकी जीवन यापन हेतु उक्त पट्टे की भूमि पर कब्जा बनाये रखना आवश्यक है। वादी द्वारा वादपत्र में चर्तुसीमा में दक्षिण में जो नागुसिंह की भूमि हेाना बताई है उसमें शासकीय सर्वे नं. 353 के बाद तालाब की बहुत बडे रकबे की भूमि स्थित है जो वर्तमान में बिना पानी के पडत भूमि के रूप में स्थित है। वादी की नियत इस शासकीय भूमि पर भी इस वाद की आड में अवैध रूप से कब्जा करने की हैं, इस कारण से दक्षिण में दो सर्वे नम्बरों की भूमि के बाद स्थित नागुसिंह की भूमि स्थित होना बताई है इस कारण से वादी इस वाद के माध्यम से कोई सहायता प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

07– प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर में आगे अभिवचन किये है कि वादी के द्वारा लिखतसूची अनुसार जो फोटोगाफस चार प्रस्तुत किये गये है जिसमें दो फोटोग्राफ जो प्रस्तुत हुए है टापरी से लगी फोटो चस्पा अनुसार पूर्व दिशा की और जो भूमि फोटोग्राफ में जो बताई गई है यह वास्तव में प्रतिवादीगण की भूमि है और वादी की भूमि फोटोग्राफ के अनुसार उत्तर दिशा में जहां पर बडे झाडू फोटो में वाली दिशा से लगी हुई है। बीच में वादी व प्रतिवादीगण की भूमि के मध्य सेढा है। इससे ही वादी की दुर्भावना परिलक्षित होती है कि वह प्रतिवादीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करना चाहता है। वाद विचारण के दौरान नायब तहसीलदार खाचरौद के आदश में पालन में मौजा पटवारी के द्वारा सर्वे नं. 353 की मौका जांच की गई थी, जिसमें प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 3 की पट्टे वाली भूमि में रकबा 0.10 हे. भूमि पर अवैध आधिपत्य पाया गया है, जिसका प्रकरण भी नायब तहसीलदार महोदय के यहां अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही हेतु वादी के विरूद्ध विचाराधीन है, जिसकी जानकारी वादी को भी है। अतः प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 3 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत वादी का वाद सव्यय निरस्त कर वादी से 50,000/– रूपये

क्षतिपूर्ण धन दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है।

08– प्रतिवादी क्रं. 04 पर तामीली हो जाने के उपरांत भी उनकी अनुपस्थित के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रेषित की गई।

09– उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके समक्ष निष्कर्ष अंकित है :–

कमांक	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद जिला उज्जैन में भूमि सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. स्थित भूमि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	**''अप्रमाणित''**
2	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में विधि विरूद्ध तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है या हस्तक्षेप करने के लिए प्रयासरत है ?	**''अप्रमाणित''**
3	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	**''प्रमाणित''**
4	अनुतोष एवं खर्चे ?	**निर्णय की कंडिका–28 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।**

–:: <u>निष्कर्षो के आधार</u> ::–

<u>वाद–प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में :–</u>

10– वादी की ओर से स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद की परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि आधिपत्य में हस्तक्षेप न करने का अनुतोष स्वत्व घोषणा के अनुतोष का पारिणामिक अनुतोष है अर्थात् स्वत्व घोषणा के अनुतोष के बिना उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 की धारा 8 के अनुसार न्यायालय फीस के लिए मूल्य और अधिकारिता के मूल्य का कतिपय वादों में एक ही होना– जहां कि न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 7 के पैरा (v), (vi) और (ix) तथा पैरा (x) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट वादों में न्यायालय फीस अधिनियम के अधीन

मूल्यानुसार संदेय है, वहां न्यायालय फीस की संगणना के लिए अवधार्य मूल्य और अधिकारिता के प्रयोजन के लिए मूल्य एक ही होगा। इस प्रकार वादी घोषणा के लिए न्यायालय शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन करने हेतु स्वतंत्र है।

11– वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन घोषणात्मक सहायता के लिए 4,00,000/– रूपये किया है जो कि युक्तियुक्त दर्शित होता है। अब यदि उस पर संदाय के न्यायालय शुल्क पर ध्यान दिया जाये तो न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची–1 के संख्याक के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस मूल्यांकन स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 100/– रूपये की न्यूनतम न्यायालय शुल्क अदा करनी होगी। वादी द्वारा स्वत्व घोषणा हेतु 4,00,000/– रूपये का मूल्यांकन किया गया है व कुल 1000 रूपये न्यायालय शुल्क अदा किया गया है जो कि पर्याप्त दर्शित होता है।

12– इस प्रकार वाद पर्याप्त रूप से मूल्यांकित होना एवं पर्याप्त न्यायालय शुल्क प्रस्तुत किया जाना विदित है और यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन का वाद का पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। तदनुसार वादप्रश्न कं. 3 **प्रमाणित** के रूप में अंकित किया जाता है।

वाद–प्रश्न कमांक– 1 एवं 2 का निष्कर्ष :–

13– उपरोक्त दोनों विवाद्यक परस्पर अन्योन्याश्रित हैं अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित कमबंधन व सम्यक विवेचना करने एवं पुनरावृत्ति निवारित करने के लिए आशय से उन पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

14– इस वाद को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से अपने प्रकरण के समर्थन में स्वयं अपनी सुगनबाई, जुवान एवं प्रभुलाल की साक्ष्य अभिलिखित कराई गई है। अपने अभिवचनो का समर्थन करते हुए वादी सुगनाबाई (वा0सा0–1) ने यह साक्ष्य दी है कि प्रतिवादी कं. 1 उसकी जेठानी है। प्रतिवादी कं. 2 व 3 उसके भतीजे पप्पू व तुफान है। यह लोग ग्राम बटलावदी रहते है वह भी बटलावदी रहती हूं। उसने वादग्रस्त कृषि भूमि रामचंद्र से आज 12 साल पहले खरीदी थी। उसने जमीन 80,000/– रूपये में 12 साल पहले खरीदी थी। तब से

वह ही खेती कर रही हूं। उसके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श पी–1 है। जो पृष्ठ 1 लगायत 4 है। जिसमें 10 स्टॉम्प संलग्न है। प्रकरण में प्रस्तुत किश्त खतौनी व खसरा प्रदर्श पी–2 व प्रदर्श पी–3 है। प्रकरण में प्रस्तुत ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी–4 है जिसकी प्रकरण में प्रस्तुत छायाप्रति पी–4 सी है। थाना प्रभारी खाचरौद को लिखित में दिया आवेदन प्रदर्श पी–5 है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की गई शिकायतों की रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श पी–6 लगायत प्रदर्श पी–9 है। अनुविभागीय अधिकारी को कि गई शिकायत प्रदर्श पी–10 है। उसने इस वर्ष कोई फसल नहीं बोयी है। उसे प्रतिवादीगण ने दरांता लेकर कुल्हाडी लेकर आते है और मारपीट कर भगा देते है और इस वर्ष खेत नहीं बोने दिया। मां–बहन की गालियां एवं मारपीट करते है। उसे जमीन के सर्वे नं. इसलिए नहीं मालूम की वह अनपढ हूं। पढना लिखना नहीं जानती इसलिए वह सर्वे नंबर नहीं जानती हूं। सर्वे नंबर उसके दावे व रजिस्ट्री में लिखा है।

15– वादी सुगनबाई अ.सा.–01 द्वारा आगे मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि प्रतिवादीगण उसे खेत पर आने नही देते है। प्रतिवादीगण मारपीट करके भगा देते है। पिछले वर्ष उन्होंने खेत पर सोयाबीन बोई थी। प्रतिवादीगण ने पिछले वर्ष उन्हें गेंहू चने नहीं बोने दिये थे। हमने थाने में रिपोर्ट कि थी। आज से एक वर्ष पूर्व खेत नहीं बोने दिया था जिसकी हमने थाने में रिपोर्ट की थी। पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद मेरे द्वारा वकिल साहब के माध्यम से न्यायालय में दावा लगाया। प्रतिवादीगण उसकी कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। उसे उक्त जमीन क्रय किये करीब 12 वर्ष हो चुके है। उसकी जमीन के पूर्व दिशा तरफ मदन कि जमीन है और पश्चिम दिशा की ओर किसकी जमीन है आज उसे याद नहीं आ रहा है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–04 में यह स्वीकार किया कि उसकी जमीन के दक्षिण में सरकारी जमीन है। स्वतः कहा कि इस सरकारी जमीन पर उसका कब्जा है। उसका उक्त सरकारी जमीन पर लगभग 12 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारी जमीन के बाद दक्षिण दिशा में तालाब की जमीन लगी हुई है। यह भी स्वीकार किया कि तालाब की जमीन के बाद नागुसिंह की जमीन

आती है।

16– वादी सुगनबाई अ.सा.–01 द्वारा आगे प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में कथन किये है कि उसने यह स्वीकार किया कि सरकारी जमीन पर उसने अतिक्रमण कर रखा है इसके संबंध में तहसील न्यायालय में कार्यवाही चल रही है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मौके पर पटवारी आया था और उसने पंचनामा बनवाया था। उक्त पंचनामा प्रदर्श डी–1 है। इसका प्रतिवेदन बनाया गया था जो प्रदर्श डी–2 है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मौके पर पटवारी ने अतिक्रमण बताया था जो प्रदर्श डी–3 है। उक्त साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि शासन से एक बीघा जमीन पट्टे पर कस्तूरीबाई के पति को नहीं दी गई थी। स्वतः कहा कि मेरे कब्जे में 12 साल से है। उक्त साक्षी ने प्रश्न किया कि शासन की जमीन पर आप मालिक नही हो; निजी जमीन के मालिक हो तो साक्षी ने उत्तर दिया कि उसकी निजी जमीन से शासकीय जमीन लगी है; इसलिए उसकी जमीन है। प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में यह स्वीकार किया कि प्रतिवादीगण उसकी जमीन पर कभी आते जाते नहीं है स्वतः कहा कि वह रामचंद्र के वारिस शब्द को नहीं समझती है। प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दावे में सर्वे नम्बर जमीन का लिखाया था या नहीं उसे याद नहीं है। उसने कस्तूरीबाई, पप्पू, तुफान के विरूद्ध दावा लगाया है।

17– वादी जुवान (वा0सा0–2) ने आगे यह साक्ष्य दी है कि वह सुगनबाई को जानता हूं। कस्तूराबाई, पप्पूलाल व तूफान को भी जानता हूं। ये सभी लोग ग्राम बटलावदी रहते है और वह भी ग्राम बटलावदी ही रहता हूं। सुगनबाई ने जमीन रामचंद्र पिता देवाजी से क्रय की थी। सुगनबाई को क्रय किये करीब 12 वर्ष हो चुके है। जब से सुगनबाई ने जमीन क्रय कि है तब से उनके पति हिन्दू खेती करते चले आ रहे है। पिछले वर्ष गेहूं नहीं बोये थे; क्योंकि कस्तूराबाई, पप्पूलाल व तूफानसिंह ने सुगनबाई व हिन्दू को खेत नहीं बोने दिया था। हिन्दू व सुगनबाई ने कोई कार्यवाही की हो तो उसे नहीं मालूम। इस वर्ष भी खेती पडत पडी है; कोई फसल कस्तूराबाई, पप्पू व तूफान ने नहीं बोने दी है। वर्तमान में खेत पडत पडा है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में यह स्वीकार किया कि उसकी जमीन

सुगनबाई और कस्तूरीबाई की जमीन के आसपास कोई जमीन नहीं है। उसने यह अस्वीकार किया कि सुगनाबाई की जमीन को उसे देखने का काम नहीं पडा। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि शासकीय जमीन पर भी सुगनाबाई का कब्जा है। उसने यह अस्वीकार किया कि कस्तूरीबाई के पूर्वज को शासन से पट्टा मिला हुआ है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे कस्तूरीबाई की भूमि का शासकीय रिकार्ड देखने का काम नहीं पडा। उसने यह अस्वीकार किया कि कस्तूरीबाई के पास शासकीय जमीन का पट्टा है और आज वह सुगनबाई के कहने से कस्तूरीबाई के पास पट्टे के जमीन होने के बावजूद भी जमीन नहीं होना बता रहा है। यह भी स्वीकार किया कि वह सुगनबाई के कहने से कथन देने आया है।

18– वादी प्रभुलाल (वा0सा0–3) ने यह साक्ष्य दी है कि वह सुगनबाई को जानता हूं। कस्तूराबाई, पप्पूलाल व तूफान को भी जानता हूं। ये सभी लोग ग्राम बटलावदी रहते है और वह भी ग्राम बटलावदी ही रहता हूं। सुगनबाई ने जमीन कस्तूरीबाई पति रामचंद्र से कय की थी। उक्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री हुई थी। सुगनबाई को कय किये करीब 12 वर्ष हो चुके है। जब से जमीन कय कि है तभी से सुगनबाई उक्त जमीन पर खेती करती चली आ रही है। सुगनबाई के साथ उसके पति हिन्दूलाल खेती करते है। पिछले वर्ष गेंहू बोये थे और इस वर्ष कुछ भी नहीं बोया है। इस वर्ष कस्तूरीबाई, पप्पूलाल व तूफान ने जमीन नहीं बोने दी। मौके पर जमीन कि पडत पडी है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 में यह स्वीकार किया कि सुगनाबाई की जमीन से लगी हुई शासकीय जमीन है और उसके बाद नागु सिंह की जमीन है। उसने यह भी स्वीकार किया कि सुगनबाई का शासकीय जमीन पर कब्जा है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त कब्जा दक्षिण दिशा में है। यह भी स्वीकार कि सुगनबाई यह जो विवाद लड रही है यह शासकीय जमीन के कब्जे को लेकर ही लड रही है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि कस्तूरीबाई वहां पर शासन से मिली भूमि पर खेती करते है।

19– प्रकरण में वादी द्वारा पेश वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि (सर्वे कं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद) की चर्तुसीमा अनुसार पूर्व में पप्पूलाल बागरी का मकान, पश्चिम में मदनलाल, नागु की कृषि भूमि व मकान,

उत्तर में सरकारी रोड एवं दक्षिण में नागुसिंह की कृषि भूमि वर्णित हैए परंतु वादी साक्षी क्रं. 3 के न्यायालयीन कथन के प्रतिपरीक्षण के पैरा–2 अनुसार वादग्रस्त भूमि से लगी हुई शासकीय जमीन है एवं शासकीय जमीन पर सुगनबाई का कब्जा है। उक्त कब्जा दक्षिण दिशा में है, अर्थात् वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में एक शासकीय भूमि है जिसे वादी ने कब्जा कर रखा है तथा वादपत्र में चर्तुसीमा दर्शाये जाने से यह तथ्य दर्शित हो रहा है कि वादी ने शासकीय भूमि को अपनी भूमि में सम्मिलित कर लिया है एवं इस हेतु घोषणात्मक अनुतोष एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है।

20– वादी साक्षी क्रं. 3 ने स्पष्ट तौर पर यह सुझाव स्वीकार किया कि सुगनबाई यह जो विवाद लड रही है यह शासकीय जमीन के कब्जे को लेकर ही लड रही है। यह सुझाव भी स्वीकार किया कि कस्तूरीबाई शासन से मिली भूमि पर खेती करते है। जिससे दर्शित होता है कि उभयपक्ष के मध्य विवाद वादी से लगी हुई शासकीय भूमि को लेकर है। वादी ने स्वयं प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में यह सुझाव स्वीकार किया कि प्रतिवादीगण उसकी जमीन पर कभी आते जाते ही नहीं है। वादी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में स्पष्ट तौर पर यह सुझाव स्वीकार किया कि उसकी जमीन के दक्षिण में सरकारी जमीन है एवं स्वतः कहा कि इस सरकारी जमीन पर उसका कब्जा है। उसका उक्त सरकारी जमीन पर लगभग 12 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। यह सुझाव स्वीकार किया कि सरकारी जमीन के बाद दक्षिण दिशा में तालाब की जमीन लगी हुई है तथा यह सुझाव स्वीकार किया कि तालाब की जमीन के बाद नागुसिंह की जमीन आती है।

21– वादी ने वादपत्र में स्वयं की भूमि के बाद दक्षिण में नागुसिंह की भूमि चर्तुसीमा में दर्शायी है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी सरकारी जमीन पर और तालाब की जमीन को स्वयं की भूमि में सम्मिलित होना वादपत्र में दर्शित कर रहा है। वादी न्यायालय में वादग्रस्त भूमि पर घोषणात्मक सहायता व स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है परंतु चर्तुसीमा से स्वयं की भूमि दक्षिण में नागुसिंह की भूमि तक दर्शा रहा है। उक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी अपनी भूमि से लगी सरकारी भूमि का तथ्य छुपाकर न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है, अर्थात् वादी

स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है एवं अतिक्रमण कर शासकीय भूमि को अपनी भूमि में सम्मिलित कर न्यायालय से संपूर्ण भूमि पर घोषणात्मक तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन कर रहा है। निषेधाज्ञा का अनुतोष एक विवेकाधिकार पर आधारित अनुतोष है जिसे सामान्यतः अतिकामक के पक्ष में प्रयुक्त नहीं किया गया जाना चाहिए। यह एक साम्य पूर्ण अनुतोष भी है। अतः इसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए। उपरोक्त सभी तथ्यों से यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष में शासकीय भूमि को छुपाकर पडोसी नागुसिंह के खेत तक स्वयं की भूमि दर्शायी गई है जिससे न्यायालय में तथ्यों का लोप किया जाना दर्शित है।

22– निषेधाज्ञा के माध्यम से अतिक्रामक का आधिपत्य सुरक्षित नहीं करना चाहिय क्योंकि यह एक साम्य पूर्ण अनुतोष है अतः इसे पाने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिये *न्याय दृष्टांत कमल सिंह विरूद्ध जयराम सिंह, 1986 (11) एम.पी.डब्लू.एन. 116* में यह प्रतिपादित किया गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा केवल आधिपत्य के आधार पर नहीं दी जाना चाहिये अन्यथा शक्ति के बल पर संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति इसका लाभ लेंगे आधिपत्य ऐसा होना चाहिये जिसकी कुछ विधिक मान्यता हो न्यायदृष्टांत *महादेव सावल राम विरूद्ध पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, (1995) 3 एस.सी.सी. 33* में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि वास्तविक स्वामी के विरूद्ध और अवैध आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में व्यादेश नहीं देना चाहिये। न्याय दृष्टांत *गंगू बाई विरूद्ध सीताराम, ए.आई. आर. 1983 एस.सी. 742* में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि विधि पूर्ण आधिपत्य रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में ही निषेधाज्ञा देना चाहिये।

23– तत्संबंध में यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि स्थाई व्यादेश का अनुतोष एक साम्य पूर्ण अनुतोष है जो पक्ष ऐसा अनुतोष चाहता है उसे स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायादृष्टांत **गुजरात बोटलिंग कंपनी लिमिटेड विरूद्ध कोका कोला कंपनी ए.आई.आर 1995 एस.सी. 2372** में यह अभिनिर्धारित किया था कि Since the relief is wholly equitable in nature, the party invoking the

jurisdiction of the court has to show that he himself was not at fault and that he himself was not responsible for bringing about the state of things complained of and that he was not unfair or inequitable in his dealings with the party against whom he was seeking relief. His conduct should be fair and honest. These considerations will arise not only in respect of the person who seeks an order of injuction under order 39 Rule 1 or Rule 2 of the Code of Civil Procedure, but also in respect of the party approaching the Court for vocating the ad-interim or temporary injuction order already granted in the pending suit or proceedings.

24– वादी द्वारा अपने आवेदन में अपनी चर्तुसीमाएं असत्य दर्शायी है और इसके अतिरिक्त अभिलेख पर आये दस्तावेजों से यह दर्शित होता है कि वादी स्वयं अन्य भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसका वादी द्वारा कोई खंडन या चुनौती नहीं दी गई है। वादी द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से स्वयं की भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के संबंध में भी व्यादेश अप्रत्यक्ष रूप से वांछित किया जाना विदित है। वादी का आचरण एवं अभिलेख पर दस्तावेज पूर्ण रूप से यह दर्शाते है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ हैं। ऐसे में यह नही माना जा सकता कि वादी द्वारा एक सद्भाविक प्रश्न न्यायालय के समक्ष उत्पन्न किया गया है व उपरोक्त उल्लेखित विधि के आलोक में वादी का स्वच्छ हाथों से न्यायालय में न आने से उसे वांछित अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

25– उपरोक्त सभी दस्तावेजों/विक्रय पत्र एवं अभिवचनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वादग्रस्त (सर्वे कं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद) वास्तविक वादग्रस्त भूमि नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि को वादी वादग्रस्त भूमि में छुपाकर सम्मिलित करना चाहता है जो वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की नहीं है। उपरोक्त की गई विवेचना, तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से वादी के पक्ष में वादप्रश्न कं. 1 प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वाद प्रश्न कं. 1 **अप्रमाणित** के रूप में निराकृत किया जाता है।

26– वाद–प्रश्न कमांक 2 के संबंध में वादी साक्षी कं. 3 ने स्पष्ट तौर

पर यह सुझाव स्वीकार किया कि सुगनबाई यह जो विवाद लड रही है यह शासकीय जमीन के कब्जे को लेकर ही लड रही है। यह सुझाव भी स्वीकार किया कि कस्तूरीबाई शासन से मिली भूमि पर खेती करते है। जिससे दर्शित होता है कि उभयपक्ष के मध्य विवाद वादी से लगी हुई शासकीय भूमि को लेकर है। वादी ने स्वयं प्रतिपरीक्षण के पैरा–6 में यह सुझाव स्वीकार किया कि प्रतिवादीगण उसकी जमीन पर कभी आते जाते ही नहीं है। चूंकि वादग्रस्त भूमि से लगी शासकीय भूमि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं पाया गया ऐसी स्थिति में आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जाना भी स्वतः प्रमाणित नहीं पाया जाता। प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज से यह दर्शित नहीं होता कि प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध से (सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद) में अवरोध उत्पन्न या हस्तक्षेप किया जा रहा है।

27– इस प्रकार सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद पर प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के संबंध में वाद प्रश्न क्रमांक **02** **अप्रमाणित** पाया जाता है।

<u>वाद–प्रश्न क्रमांक 4 के संबंध में :–</u>

28– प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज में वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो वादी के अभिवचन की प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है ऐसे दर्शित करने के पर्याप्त हो। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद संभावना की प्रधानता (Preponderance of Probability) से साबित करना है। वादी द्वारा दर्शायी गई चर्तुसीमा अनुसार वादग्रस्त (सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद) वास्तविक वादग्रस्त भूमि नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि को वादी वादग्रस्त भूमि में छुपाकर सम्मिलित करना चाहता है जो वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की नहीं है। वादी द्वारा सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. की रजिस्ट्री अनुसार उक्त भूमि पर वादी का स्वत्व है परंतु भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि को वादी वादग्रस्त भूमि में छुपाकर सम्मिलित करना चाहता एवं उस पर नागुसिंह

के खेत तक की भूमि पर घोषणात्मक सहायता चाहता है जो वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की नहीं है। उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों वादी के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दर्शित है कि वादी ने तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है एवं प्रस्तुत वाद में इसलिए वांछित अनुतोष को प्रमाणित करने में असफल रहे अतः वादी का वाद **अस्वीकार** कर निम्न आशय एवं प्रभाव आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

(1) वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि सर्वे क्रं. 352 रकबा 0.2000 हे. ग्राम बटलावदी तहसील खाचरौद में पूर्व में पप्पूलाल बद्री का मकान, पश्चिम में मदनलाल नागू की कृषि भूमि व मकान, उत्तर में सरकारी रोड एवं दक्षिण में नागूसिंह की कृषि भूमि की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद **निरस्त** किया जाता है।

(2) प्रतिवादी अपना एवं वादी अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

(3) अभिभाषक शुल्क सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर उसके अनुसार, जो भी कम हो, जोड़ी जावे।

तदनुसार आज्ञप्ति निर्मित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(पंकज बुटानी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र.

(पंकज बुटानी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र.

PANKAJ BUTANI

Digitally signed by PANKAJ BUTANI
Date: 2023.08.22 16:56:39 +0530